

सत्र 2026-27 के लिए स्थानीय स्थानांतरण (Local Transfer) के सम्बन्ध में

आवेदनों पर निम्नलिखित स्थितियों में विचार किया जाएगा :

1. सम्बन्धित विद्यार्थी के प्रवेश उपरांत पिछले / वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अभिभावक (Priority Category I to IV in Civil/Defence KV and Priority Category I to V in Project/IHL KV) के सरकारी आवास के आवंटन या माता-पिता द्वारा स्वयं के घर में स्थानांतरित होने की स्थिति में
2. छात्र/अभिभावक की गंभीर बीमारी अथवा चिकित्सीय अत्यावश्यकता के कारण
3. एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में, जहाँ पर सहोदर/सहोदरी पढ़ रहे हैं, स्थानांतरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर (दोनों विद्यालयों में से जिसकी सम्बन्धित कक्षा में छात्र संख्या कम होगी, उस विद्यालय हेतु स्थानीय स्थानांतरण अनुमन्य होगा।)

उपरोक्त पैरा 1 और 2 के मामले में, सरकारी आवास/खुद के घर के निकटतम केंद्रीय विद्यालय में सम्बन्धित कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 के भीतर होने पर स्थानीय स्थानांतरण अनुमन्य होगा। कक्षा संख्या 50 से अधिक होने पर अन्य निकटतम केंद्रीय विद्यालय पर विचार किया जा सकता है। सामान्यतः दोनों विद्यालयों के मध्य 8 किलोमीटर से कम दूरी होने पर अथवा वर्तमान सत्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदनों पर स्थानीय स्थानांतरण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	
स्थानीय स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र - शैक्षिक सत्र 2026-27	
(To be submitted in Triplicate in the KV where the student is presently studying)	
अभिभावक द्वारा भरे जाने हेतु	
1	वर्तमान केन्द्रीय विद्यालय का नाम
2	केन्द्रीय विद्यालय का नाम, जहाँ स्थानांतरण चाहिए
3	विद्यार्थी का नाम
4	कक्षा
5	वर्तमान विद्यालय में प्रवेश की तिथि
6	माता का नाम
7	पिता का नाम
8	विभाग जहाँ कार्यरत है (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9	स्थानीय स्थानांतरण हेतु आवेदन का कारण (कृपया सहायक दस्तावेज संलग्न करें)
10	यदि कारण आवास परिवर्तन है, तो निम्नानुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें :
10(a)	सरकारी आवास में आवंटन की तिथि (प्रमाणपत्र संलग्न करें)
10(b)	नवनिर्मित अथवा खरीदे हुए आवास के दस्तावेज (प्रमाणपत्र संलग्न करें)
10(c)	वर्तमान विद्यालय से आवास की दूरी (कि.मी. में)
10(d)	इच्छित विद्यालय से आवास की दूरी (कि.मी. में)

(पिता/माता के हस्ताक्षर)

वर्तमान विद्यालय द्वारा प्रदत्त जानकारी	
1	यदि के.वि. से स्थानांतरित होकर आया है, तो पूर्व विद्यालय का नाम
2	विद्यालय में इस वर्ष की उपस्थिति
3	प्रवेश के समय का स्थानीय पता (आवेदन पत्र की छायाप्रति लगाएं)
4	यह प्रमाणित किया जाता है कि अभिभावक द्वारा भरी गई जानकारी, उपलब्ध रिकॉर्ड से सत्यापित कर ली गई है।
5	प्राचार्य की अनुशंसा/टिपण्णी

कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर

प्राचार्य के हस्ताक्षर

स्थानांतरण के लिए इच्छित विद्यालय के प्राचार्य की टिपण्णी	
1	सम्बन्धित कक्षा में औसत विद्यार्थियों की संख्या
2	प्राचार्य की अनुशंसा
3	यदि - सहोदर / सहोदरी के कारण, तब उनकी जानकारी - कक्षा एवं औसत संख्या

प्राचार्य के हस्ताक्षर

संयोजक की टिपण्णी : _____

संयोजक के हस्ताक्षर

केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

सत्र 2026-27 के लिए स्थानीय स्थानांतरण (Local Transfer) हेतु समय सारिणी

(Schedule)

क्र.	चरणबद्ध कार्य निष्पादन का विवरण	तिथि
1	अभिभावक द्वारा तीन प्रतियों में आवेदन पत्र (सहायक दस्तावेजों सहित) विद्यालय (जहाँ वर्तमान में विद्यार्थी पढ़ रही/रहे हैं) में जमा करने की अंतिम तिथि	28.06.2026
2	सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों को सहायक दस्तावेजों सहित (दो प्रतियों में), विद्यालय(जहाँ स्थानांतरण की माँग की गी है) में जमा करने की अंतिम तिथि	02.07.2026
3	प्रच्वहारी (जहाँ स्थानांतरण की माँग की गी है) द्वारा सभी आवेदन पत्रों को सहायक दस्तावेजों सहित (एक प्रति में), जाँच/समीक्षा (Scrutiny) एवं अनुशंसा (Recommendation) हेतु सम्बन्धित स्टेशन समन्वयक (Station Co-ordinator) को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	06.07.2026
4	सम्बन्धित स्टेशन समन्वयक (Station Co-ordinator) की अध्यक्षता में समिति की बैठक	08.07.2026- 09.07.2026
5	समिति द्वारा विधिवत जाँच की गई (scrutinized) एवं संस्तुत/अनुशंसित आवेदन (सहायक दस्तावेजों सहित) तथा पूर्ण रूप से भरा गया अनुलग्नक-1 (एक्सेल शीट की सॉफ्टकॉपी एवं हस्ताक्षरित मूल प्रति) को अंतिम रूप से, के.वि.सं.(क्षे.का.) लखनऊ में जमा करने एवं उपायुक्त महोदया की अध्यक्षता में समिति की बैठक की तिथि	लखनऊ -13.07.2026 कानपुर- 14.07.2026 बरेली - 15.07.2026
6	स्थानीय स्थानांतरण प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि	31.07.2026